

## CIRCULAR

CIR No.: PFRDA/2022/26/FT&DA/02

30 September 2022

To,

All Stake Holders & Account Aggregators

**Subject: Empowering Subscribers to access and port their Data**

The Account Aggregator (AA) framework facilitates sharing of financial and other information on a *real-time* basis and in a *data blind manner* between different-regulated entities. The data will be available to both the users and service providers through this mechanism.

2. The AA technology framework empowers NPS Subscribers to have seamless and secure access to their information on NPS available with Central Record Keeping Agencies (CRAs) and enable its portability in an encrypted form between the stake holders in order to benefit the Subscribers.

3. The four important stakeholders under AA framework are

- a) NPS Subscribers as customers.
- b) CRAs as Financial Information Providers (FIPs).
- c) Financial information Users (FIUs).
- d) Account Aggregators (AAs) - Providers of the digital infrastructure to enable data flows and manage consent for financial data sharing.

4. Account Aggregators (AA) are RBI regulated entities with a Non-Banking Finance Company (NBFC) - AA license. They act like a *bridge to deliver financial information* from FIP pertaining to a customer to Financial Information Users (FIU) based on the *explicit consent* of the customer. However, the financial information of customer shared through AA neither shall the property nor stored by them.

5. RBI has issued Master Direction- Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016 (DNBR.PD.009/03.10.119/2016-17) dated September 02, 2016 and the same has to be complied by the entities appointed as AA.
6. The CRAs appointed by PFRDA designated as FIP. The contact details of CRAs provided at the *Annexure* for the stakeholders to further engage with.
7. “Balances under the National Pension System (NPS)” treated as Financial Information and the same shared by CRAs with the consent from the subscriber as per the Consent Architecture and on real time basis.
8. CRAs shall develop interfaces and APIs specified in technical specification published by Reserve Bank Information Technology (ReBIT) to verify the consent from consent artifact and to share the financial information with AA.
9. FIPs shall ensure highest security standards to ensure *Confidentiality, Integrity and Availability* of data and adopt required the technical specifications to ensure secure information flow to AA.
10. FIPs under NPS architecture shall continue to comply with all regulatory provisions under Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and the regulations framed thereunder.
11. FIPs under NPS architecture must disclose prominently on their websites, the names of Account Aggregators through which the FIP share the NPS related information.
12. The *interconnected digital technologies* between FIP & FIU through AA has the potential ability to bring together data from heterogeneous entities in one place for the empowerment of Subscribers.

13. This circular issued in exercise of the powers conferred under Section 14 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to protect the interests of subscribers and to regulate, promote and ensure orderly growth of the National Pension System and pension schemes to which the Act applies.

14. A copy of this circular is available on the website of PFRA at [www.pfrda.org.in](http://www.pfrda.org.in).

Yours Sincerely,

Chief General Manager

**Financial Information Provider (FIP) i.e., Central Recordkeeping Agencies (CRAs)  
under NPS Architecture:**

**1. Protean eGov Technologies Limited:**

Name of the officer	Shri Sudhanshu Shekhar
Contact No -	022 40904862
Email Id-	<a href="mailto:sudhanshus@proteantech.in">sudhanshus@proteantech.in</a>
Office Address –	1st Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013

**2. KFin Technologies Limited:**

Name of the officer	Shri Vignesh Kumaran
Contact No -	+91 9167070751
Email Id-	<a href="mailto:vignesh.kumaran@kfintech.com">vignesh.kumaran@kfintech.com</a>
Office Address –	Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032

**3. Computer Age Management Services Limited:**

Name of the officer	Shri Visalan S
Contact No -	+91 9677023932
Email Id-	<a href="mailto:visalan.s@camsonline.com">visalan.s@camsonline.com</a>
Office Address –	No. 158, Rayala Towers, Anna Salai, Chennai – 600 002

## परिपत्र

परिपत्र संख्या : PFRDA/2022/26/FT&DA/02

30<sup>th</sup> सितंबर 2022

प्रति ,

सभी हितधारक और खाता संकलनकर्ता (अकाउंट एग्रीगेटर्स)

### विषय : अभिदाताओं को उनका डेटा प्राप्त करने और पोर्ट करने में सक्षम बनाना

खाता संकलनकर्ता (AA) संरचना, तत्काल और डेटा ब्लाइंड आधार पर अलग-अलग विनियमित इकाइयों के बीच वित्तीय और अन्य सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ताओं और सेवाप्रदाताओं दोनों के लिए डेटा उपलब्ध होगा।

2. खाता संकलनकर्ता (AA) तकनीकी संरचना एनपीएस अभिदाताओं को केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (CRAs) के पास उपलब्ध उनकी जानकारी को निर्बाध और सुरक्षित रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाती है और अभिदाताओं के लाभ के लिए हितधारकों के बीच गोपनीय रूप से इसकी पोर्टेबिलिटी को संभव बनाती है।
3. AA संरचना के तहत चार महत्वपूर्ण हितधारक हैं -
  - a. उपभोक्ताओं के रूप में एनपीएस अभिदाता
  - b. वित्तीय सूचना प्रदाता (FIPs) के रूप में सीआरए
  - c. वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (FIUs)
  - d. खाता संकलनकर्ता (AAs) - डेटा प्रवाह को संभव बनाने और वित्तीय डेटा साझा करने की सहमति का प्रबंध करने के लिए डिजिटल अवसंरचना प्रदाता।
4. खाता संकलनकर्ता (AA), एए-लाइसेंस वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) के साथ आरबीआई द्वारा विनियमित इकाइयां हैं। वे उपभोक्ता की सुस्पष्ट सहमति के आधार पर, उपभोक्ता से सम्बंधित वित्तीय सूचनाओं को वित्तीय सूचना प्रदाताओं से वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) तक भेजने के लिए एक मार्ग का कार्य करती है। हालांकि AA के माध्यम से साझा की गई अभिदाता की वित्तीय जानकारी न तो उनकी संपत्ति होगी और न ही उनके द्वारा संग्रहित की जा सकेगी।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी- खाता संकलनकर्ता (अकाउंट एग्रीगेटर्स) (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 (DNBR.PD.009/03.10.119/2016-17) दिनांकित 02 सितम्बर, 2016 जारी किए और इसका AA के रूप में नियुक्त की गई इकाईयों द्वारा पालन किया जाना है।
6. पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त CRAs को एफआईपी के रूप में नामित किया गया है। हितधारकों की अतिरिक्त जानकारी के लिए सीआरए का संपर्क विवरण *अनुलग्नक* में दिया गया है।
7. “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत शेष राशि” को वित्तीय सूचना के रूप में माना जाएगा और इसे सहमति संरचना के अनुसार अभिदाता की सहमति से और तत्काल सीआरए द्वारा साझा किया जाएगा।
8. सीआरए सहमति विरूपण साक्ष्य से सहमति को सत्यापित करने और AA के साथ वित्तीय जानकारी साझा करने के लिए रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (रेबिट) द्वारा प्रकाशित तकनीकी विनिर्देशों में निर्दिष्ट इंटरफेस और एपीआई विकसित करेंगे।
9. एफआईपी डेटा की गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करेंगे और AA तक सुरक्षित सूचना प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तकनीकी विनिर्देशों को अपनाएं।
10. एनपीएस संरचना के तहत शामिल एफआईपी पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 और उसके तहत निर्मित विनियमों के अनुसार सभी नियामक प्रावधानों का पालन करते रहेंगे।
11. एनपीएस संरचना के तहत एफआईपी को अपनी वेबसाइट पर उन खाता संकलनकर्ताओं (अकाउंट एग्रीगेटर्स) के नामों को प्रदर्शित करना चाहिए, जिनके माध्यम से एफआईपी एनपीएस सम्बन्धी सूचना साझा करते हैं।
12. अभिदाताओं के सशक्तिकरण के लिए, AA के माध्यम से एफआईपी और एफआईयू के बीच परस्पर जुड़ी डिजिटल तकनीक में विषम संस्थाओं से डेटा एक साथ लाने की क्षमता है।
13. यह परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं पेंशन योजनाओं, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है।
14. इस परिपत्र की एक प्रतिलिपि पीएफआरडीए की वेबसाइट [www.pfrda.org.in](http://www.pfrda.org.in) पर उपलब्ध है।

भवदीय,

मुख्य महाप्रबंधक

वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) अर्थात् एनपीएस संरचना के तहत केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) :

**1. प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलोजीज़ लिमिटेड :**

अधिकारी का नाम	श्री सुधांशु शेखर
दूरभाष-	022 40904862
ईमेल आईडी-	<a href="mailto:sudhanshus@proteantech.in">sudhanshus@proteantech.in</a>
कार्यालय पता-	1st Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013

**2. केफिन टेक्नोलोजीज़ लिमिटेड :**

अधिकारी का नाम	श्री विगनेश कुमारन
दूरभाष-	+91 9167070751
ईमेल आईडी-	<a href="mailto:vignesh.kumaran@kfintech.com">vignesh.kumaran@kfintech.com</a>
कार्यालय पता-	Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032

**3. कम्प्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड :**

अधिकारी का नाम	श्री विसलन एस
दूरभाष-	+91 9677023932
ईमेल आईडी-	<a href="mailto:visalan.s@camsonline.com">visalan.s@camsonline.com</a>
कार्यालय पता-	No. 158, Rayala Towers, Anna Salai, Chennai – 600 002